

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक- / री -1 / भू. अ. / 2020 / 2365
प्रति.

खण्डवा, दिनांक- 17.9.2020

नियंत्रक
कन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय-

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 उद्घोषणा का राजपत्र मे प्रकाशन होने बाबत। प्रकरण क्रमांक 0014 / अ-82 / 19-20 ग्राम विश्रामपुर तहसील खण्डवा

--00--

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 उद्घोषणा का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग-1 मे होना है। कलेक्टर एवं समुचित सरकार, म.प्र. शासन, राजसव विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित धारा 19 उद्घोषणा की दो प्रतियां आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र मे शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे।

(संजीव कशव पाण्डेय)
अनुविभागीय अधिकारी, एवं
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

खण्डवा, दिनांक- 17.9.2020

पृ क्रमांक- / री -1 / भू. अ. / 2020 / 2366

प्रतिलिपि-

- उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला की ओर सूचनार्थ।
- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर, कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित धारा 19 उद्घोषणा को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
- तहसीलदार खण्डवा की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम मे डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस मे वापसी भिजवाने की व्यवस्था करें
 - कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड
 - उप-खण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
 - तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड
 - ग्राम पचायत के नोटिस बोर्ड पर
 - ग्राम विश्रामपुर की चौपाल पर

(संजीव कशव पाण्डेय)
अनुविभागीय अधिकारी, एवं
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा



कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्तीक / 2019 एलए
भू-अर्जन प्र० क०-0014 / अ-82 / 2019-2020

खण्डवा, दिनांक 17/09/2020

// उद्घोषणा- धारा 19 //

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

// अनुसूची //

(1) भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	:	खण्डवा
(ख) तहसील	:	खण्डवा
(ग) ग्राम	:	विश्रामपुर
(घ) अर्जित रकबा		6.853 हेक्टेयर

खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा
222 / 2	0.252	172	0.239
222 / 1	0.336	195	0.119
223	0.219	196 / 1	0.110
229	0.070	196 / 2	0.229
231	0.754	206 / 2	0.002
232 / 1	0.518	241	1.403
54	0.188	240	0.322
61 / 1	0.116	239	0.510
61 / 2	0.095	238	0.175
62 / 1	0.112	235	0.053
62 / 2	0.081	234	0.133
62 / 3	0.092	88 / 1	0.039
65	0.163	87 / 1	0.050
66	0.055	87 / 2	0.100

69	0.140	83 / 1	0.109
73	0.035	83 / 2	0.030
79 / 2	0.004		
कुल खसरा नं० 33		कुल रकवा—6.853 हेक्टे०	

2) सार्वजनिक प्रायोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अकोला—खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु।

3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप—मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय मे किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(अनंत द्विवेदी)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार

मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जिला—खंडवा

